न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

करण सं0 : 79/2023

मनीषा पुत्री सुरजभान पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल आबाद वनगांव तहसील एवं जिला फतेहबाद हरियाणा।

- प्रार्थीया

बनाम

1. सुरजभान पुत्र करतारसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. पुनम पुत्री सुरजभान } जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा नाबालिग
3. गुलाबसिंह पुत्र सुरजभान } जरिए माता गुड्डी पत्नि सुरजभान
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिऐ शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग - **प्रार्थीया**

वकील श्री पूनमचंद वर्मा - **अप्रार्थी सं0 1**

वकील श्री रामचन्द्र बैनीवाल - **अप्रार्थी सं0 2 व 3**

निर्णय **दिनांक :** 18-12-2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भिरानी के खाता सं0 161/31 के मु0नं0 134, 135, 455, 456, 493, 494 की कुल 5.8560है0 में अप्रार्थी सं0 1 सुरजभान के नाम 1/3 हिस्सा तथा भिरानी के ही खाता सं0 619/144 के मु0न0 134, 447, 456, 492 की कुल 2.9350है0 में अप्रार्थी सं0 1 सुरजभान के नाम 282/2935 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 सुरजभान को अपने पिता करतारसिंह से विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पति में अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सुरजभान के दो नाबालिग बच्चे अप्रार्थी सं0 2 व 3 है जो अविवाहित है को सुरजभान ने अपनी पत्नि सहित बच्चों को घर से निकाल दिया है तथा बिना जायज जरूरत के उक्त भूमि बैंक के रहन कर ऋण राशि प्राप्त कर अपने दुव्यर्सनों की पूर्ति में उडा दी है। अप्रार्थी सुरजभान प्रार्थीया को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए उक्त वर्णित वादभूमि को बेचान करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थी सुरजभान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी।

अतः प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह प्रार्थीया को उसके हिस्से की वाद भूमि के उपयोग व उपभोग में कोई दखल अंदाजी स्वयं व अपने आदमियों द्वारा नहीं पहुंचावे एवं वादभूमि में रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायकी सम्पति नहीं है और न ही अप्रार्थी सं0 1 को उक्त कुल भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। वादभूमि में से गांव भिरानी के खाता सं0 161/31 की कुल 5.8560है0 बारानी में से अप्रार्थी सं0 1 को 1/3 हिस्सा भूमि विरासतन प्राप्त न होकर 1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है और उक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 1 को अपनी माता फूली देवी व बहिनों क्रमशः अमरपति व मायापति से प्राप्त हुई है और शेष भूमि गांव भिरानी के खाता सं0 619/144 की कुल 2.

Scanned with CamScanner

9350है0 बारानी में से अप्रार्थी सं0 1 को 282/2935 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 व उसके भाईयों क्रमशः रणसिंह व दयाराम द्वारा अपनी आमदनी से अपने पिता करतारसिंह के नाम से खरीद की गई भूमि में से तीनों भाईयों को व0हिस्सा बराबर प्राप्त हुई स्वअर्जित सम्पति है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 2 व 3 का जन्म से हक व हिस्सा निहित नहीं है के संबंध में वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत 2023 (1) आरआरटी 428 पेश की। वादभूमि के संयुक्त रूप से काश्त करने का कथन गलत अंकित है। पत्नि व बच्चों का घर से निकालने का कथन गलत है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया अपनी माता व नाबालिग भाई बहिन को भूमि हडप करने की गर्ज से अपने पास रखे हुए है। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीया की शादी आदि व परिवार की आवश्यक जरूरतों के लिए वादभूमि को बैंक के रहन रखी हुई है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया सव्यय खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं0 2 व 3 जरिए वकील उपस्थित आए। वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 जवाब पेश नहीं करना चाहते।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया की वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 सुरजभान को अपने पिता करतारसिंह से विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पति में अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सुरजभान के दो नाबालिग बच्चे अप्रार्थी सं0 2 व 3 है जो अविवाहित है को सुरजभान ने अपनी पत्नि सहित बच्चों को घर से निकाल दिया है तथा बिना जायज जरूरत के उक्त भूमि बैंक के रहन कर ऋण राशि प्राप्त कर अपने दुव्यर्सनों की पूर्ति में उडा दी है। अप्रार्थी सुरजभान प्रार्थीया को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए उक्त वर्णित वादभूमि को बेचान करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थी सुरजभान ऐसा करने में कामयाव हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी। वकील गैर सायलान द्वारा कथन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायकी सम्पति नहीं है और न ही अप्रार्थी सं0 1 को उक्त कुल भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। वादभूमि में से गांव भिरानी के खाता सं0 161/31 की कुल 5.8560है0 बारानी में से अप्रार्थी सं0 1 को 1/3 हिस्सा भूमि विरासतन प्राप्त न होकर 1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है और उक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 1 को अपनी माता फूली देवी व बहिनों क्रमशः अमरपति व मायापति से प्राप्त हुई है और शेष भूमि गांव भिरानी के खाता सं0 619/144 की कुल 2.9350है0 बारानी में से अप्रार्थी सं0 1 को 282/2935 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 व उसके भाईयों क्रमशः रणसिंह व दयाराम द्वारा अपनी आमदनी से अपने पिता करतारसिंह के नाम से खरीद की गई भूमि में से तीनों भाईयों को व0हिस्सा बराबर प्राप्त हुई स्वअर्जित सम्पति है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 2 व 3 का जन्म से हक व हिस्सा निहित नहीं है के संबंध में वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत 2023 (1) आरआरटी 428 पेश की। वादभूमि के संयुक्त रूप से काश्त करने का कथन गलत अंकित है। पत्नि व बच्चों का घर से निकालने का कथन गलत है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया अपनी माता व नाबालिग भाई बहिन को भूमि हडप करने की गर्ज से अपने पास रखे हुए है। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीया की शादी आदि व परिवार की आवश्यक जरूरतों के लिए वादभूमि को बैंक के रहन रखी हुई है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीया, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया को अनुतोष प्राप्त करने तथा प्रार्थीया को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अप्रार्थी सं0 1 सुरजभान को अपने पिता करतारसिंह से विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पति में अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा अप्रार्थी सुरजभान इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

Scanned with CamScanner

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीया को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में साबित हो चुका है यदि अप्रार्थी सुरजभान वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के हिस्से की भूमि किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करते है तो प्रार्थीया को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में और अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थीया का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वादभूमि के हिस्से को बेचान करने में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी सं0 1 सुरजभान को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वह वादभूमि में मौका व रिकार्ड की स्थिति बनाए रखें

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा(हनुमानगढ़)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner